FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रावर

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
सरिता		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–154/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.11.2021	प्रार्थी सरिता पत्नी जगदीश जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प रावर में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 343/4 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 343/9 रकबा 1.6261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/1 रकबा 0.2589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489/9 रकबा 1.9416 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 4.3120 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पति जगदीश पुत्र रूघाराम जाति विश्नोई की थी। वादी क पति को घर पर लाड प्यार से दो नाम जगदीश व जगराम पुकारते थे। जगदीश व जगराम एक ही व्यक्ति थे। राजस्व रेकर्ड में अज्ञानता वश वादी के पति ने अपना नाम जगराम पुत्र रूघाराम दर्ज करवा दिया। जो नामान्तकरण संख्या 606 के स्वीकृत होने पर दर्ज किया गया था। वादी के पति का देहान्त दिनांक 07.03.2019 को हो चुका है। वादीगण ने अपने पति की भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत कराने हेतु प्रशासन गांवों के संग शिविर अभियान कैम्प रावर सन् 2021 में जाकर तहसीलदार बिलाड़ा से [illegible] किया, एवं अपने दस्तावेज जमाबंदी, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (जगदीश पुत्र रूघाराम), तथा अपने पति का अधिकारिक पहचान पत्र आदि तहसीलदार बिलाड़ा को बताया और निवेदन किया कि फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया जावें जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात देखकर वादी को बताया कि आपके सरकारी दस्तावेज में आपके पति का नाम जगदीश लिखा हुआ है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:04 IST
Reason: SelfAttested

और आपके पति का नाम जमाबंदी में जगराम दर्ज किया हुआ है इस कारण फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है आप राजस्व रेकर्ड में अपने पति का नाम शुद्धि करवा कर लावें तब ही आपको फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया जायेगा। अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में जगराम पुत्र रूघाराम के स्थान पर सरिता पत्नी स्व॰ जगदीश, राजदीप पुत्र स्व॰ जगदीश उम्र 5 वर्ष जरिये नाबालिग कुदरती वली माता सरिता पत्नी जगदीश, ज्योति पुत्री स्ढ जगदीश उम्र 3 वर्ष जरिये नाबालिग कुदरती वली माता सरिता पत्नी जगदीश की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी सरिता ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी सरिता का जनआधार कार्ड, तथा अपने पति जगदीश का पहचान पत्र, मत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड ग्राम रावर की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077, खसरा नम्बर 343/4, 343/9, 489/1, 489/9 (जगराम पुत्र रूघाराम) आदि पेश किये

है। ग्राम पंचायत रावर द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया गया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में मेरे पति की भूमि का फौतेदगी नामांतकरण स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इस कारण दावा को पेश करना पड़ रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादीगण ने साक्ष्य सबूत के तौर पर दस्तावेज तथा म्यूटेशन आदि को पेश नहीं किया है इस कारण वादीगण का दावा साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है। वादीगण नया दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम रावर में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:04 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रावर

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

1.सरिता पत्नी जगदीश — राजस्थान सरकार
2.राजदीप पुत्र जगदीश उम्र 5 वर्ष — तहसीलदार बिलाड़ा
3.ज्योति पुत्री जगदीश उम्र 3 वर्ष
जातियान विश्नोई निवासीगण रावर तहसील बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 154 / 2021

निर्णय **दिनांक** :— 17.11. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण ने साक्ष्य सबूत के तौर पर दस्तावेज तथा म्यूटेशन आदि को पेश नहीं किया है इस कारण वादीगण का दावा साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है। वादीगण नया दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:04 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — **मुबलिग** — **बाबत्** —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:04 IST
Reason: SelfAttested